पत्रांक–9A/मार्गदर्शन (विविध)–07–10/2024–.....(9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– **विभाग द्वारा अभियान के तौर पर संचालित विभिन्न कार्यों को सफल बनाने हेतु सतत् अनुश्रवण के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–624(17), दिनांक–04.05.2023, पत्रांक–2821(9), दिनांक–01.10.2024, पत्रांक–3348(9A), दिनांक–18.12.2024, पत्रांक–163(9A), दिनांक–15.01.2025 एवं पत्रांक–388(9), दिनांक–06.02.2025**

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों के जमाबंदी पंजियों को डिजिटाइज़ कर विभाग की सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से राज्य के नागरिकों को सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि ऑनलाइन प्रदर्शित जमाबंदी में कुछ विवरण विलोपित है, कुछ जमाबंदियाँ ऑनलाइन करने को शेष रह गई है, कुछ जमाबंदी को ऑनलाइन किये जाने का आधार की जाँच की जानी है तथा कुछ जमाबंदियों में सरकारी भूमि सन्निहित होने के मामले भी सामने आए है। ऐसे में इन अशुद्धियों/लोप को दूर करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न अभियान चलाया जाता है, ताकि आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं को और सुलभ बनाया जा सके।

2. दिसम्बर–2017 से अक्टूबर–2018 तक राज्य के सभी 534 अंचलों में लगभग 3.58 करोड़ जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड कर विभाग के पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/ पर सार्वजनिक कर दिया गया है। विभाग में प्राप्त शिकायतों/परिवाद पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि डिजिटाइजेशन के क्रम कुछ जमाबंदियों में रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ/लोप रह गयी है तथा अनेक रैयतों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की जा सकी है। अंचल स्तर पर रैयतों की शिकायतों के आलोक में अंचल अधिकारियों द्वारा विभागीय पत्रांक–339(8), दिनांक–10.06.2019, पत्रांक–756(8), दिनांक–28.10.2019 एवं पत्रांक–19(9), दिनांक–03.01.2018 के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर जाँचोपरांत सुधार किया जा रहा था। इस प्रक्रिया के तहत अबतक कुल–199 लाख ऑनलाइन जमाबंदियों में सुधार,

118 लाख ऑनलाइन जमाबंदी में लगान अद्यतन तथा 9.65 लाख डिजिटाइजेशन हेतु छूटे हुये जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है।

3. इसी क्रम में इन कार्यों में तेजी तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए विभाग द्वारा पिछले 6 माह में संचालित अभियानों का विवरण निम्नवत् है :–

(क) ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज करनाः विभागीय पत्रांक–3348(9A), दिनांक–18.12.2024 द्वारा राज्य की वैसी जमाबंदी, जिसमें अंतिम लगान का विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण रैयत ऑनलाइन लगान का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, वैसे जमाबंदी में अंतिम लगान से संबंधित विवरण दर्ज करने हेतु निदेश निर्गत है। समय–समय पर अभियान चलाकर लगभग 118 लाख जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज की गई है शेष 41 लाख जमाबंदी में यह विवरण दर्ज करना शेष है।

(ख) ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करना तथा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुये जमाबंदी को ऑनलाइन करनाः विभागीय पत्रांक–388(9), दिनांक–06.02.2025 द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध जमाबंदी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करने तथा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुये जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु विशेष कैंप का संचालन कर इसे पूरा करने हेतु आदेश निर्गत है। यह कार्य अंचल अधिकारी द्वारा "परिमार्जन प्लस" के आवेदन के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर किया जाना है।

(ग) डिजिटाइजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करनाः विभाग में प्राप्त शिकायतों से यह ज्ञात हुआ कि अंचलों द्वारा बिना दाखिल–खारिज की प्रक्रिया अपनाए गलत तरीके से पुराने रजिस्टर–II में आज भी जमाबंदी कायम की जा रही है तथा इसे "ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटा हुआ" बताकर ऑनलाइन किया जा रहा है। ऐसी जमाबंदियों के सृजन के आधार की जाँच के लिए पूर्व में भूमि सुधार उप समाहर्ता को नामित किया गया था। लेकिन, विगत 2 वर्ष से इसमे अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक–163(9A), दिनांक–15.01.2025 द्वारा इन जमाबंदियों की जाँच कर अनलॉक करने का दायित्व अंचल अधिकारी को दिया गया है।

(घ) सरकारी भूमि पंजी का सत्यापनः विभागीय पत्रांक–2821(9), दिनांक–01.10.2024 द्वारा अंचल स्तर पर ऑनलाइन इन्ट्री किए गए सरकारी भूमि के प्रत्येक खेसरा के सत्यापन हेतु पत्र निर्गत है। यह इन्ट्री मूल खतियान/पंजी से हू–ब–हू की जानी थी तथा सत्यापन भी मूल पंजी से ही की जानी है। अगर कोई इन्ट्री गलत पाई जाती है तो उसे गलत मार्क कर पुनः सही इन्ट्री की जानी है।

(च) अभियान बसेरा–2 के अंतर्गत सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करानाः विभागीय पत्रांक–624(17), दिनांक–04.05.2023 के आलोक में राज्य के भूमिहीनों का

सर्वेक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से किया गया तथा इन भूमिहीनों को भूमि का आवंटन भी मोबाइल ऐप से करते हुये ऑनलाइन पर्चा निर्गत किया जाता है।

4. उक्त सभी अभियानों की विस्तृत जानकारी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से संसूचित है। विभाग स्तर पर इन अभियानों की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि इन अभियानों का अपेक्षित फलाफल नहीं प्राप्त हो पाया है। यह महसूस किया गया है कि हल्का कर्मचारी स्तर तक इन परिपत्रों की जानकारी पहुँचाये बगैर एवं जिला तथा प्रमंडल स्तर पर सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के बिना अपेक्षित प्रगति संभव नहीं है।

5. उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि –

(क) जिला स्तर से प्रतिनियुक्त प्रखंडों/अंचलों के वरीय पदाधिकारीगण अपने स्तर से अंचल की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेकर इन अभियानों की विस्तृत जानकारी सभी अंचल अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों/हल्का कर्मचारियों को हो जाय, यह सुनिश्चित करें।

(ख) अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सघन रूप से अंचल कार्यालयों का भ्रमण कर इन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा कर लें। इस हेतु जिलाधिकारी अपने स्तर से रोस्टर बना दें। ताकि प्रत्येक 15 दिनों में प्रत्येक अंचल में अपर समाहर्त्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता में से कम–से–कम एक पदाधिकारी जरूर समीक्षा कर लें।

(ग) जिलाधिकारी वृहस्पतिवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य किसी दिन भौतिक/विडियो कॉन्फ्रेसिंग (VC) के माध्यम से इन सभी अभियानों की अंचलवार समीक्षा कर लें।

(घ) राज्य स्तर से प्रत्येक वृहस्पतिवार को दिनांक–27.03.2025 से प्रारम्भ कर सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व) एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग (VC) से प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(ड.) प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध है कि वे पाक्षिक तौर पर सभी जिलों की समीक्षा कर लें।

6. इस वाइंडिंग अप (Winding Up) को Mission Mode में (अभियान के तौर पर) दिनांक–24.03.2025 से 30.04.2025 तक चलाया जाएगा। तत्पश्चात जिलों/अंचलों के प्रदर्शन की समेकित रैंकिंग की जाएगी।

अनु0–प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–9A/मार्गदर्शन (विविध)–07–10/2024–.....(9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– .....

प्रतिलिपिः– सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–9A/मार्गदर्शन (विविध)–07–10/2024–.....(9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– .....

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–9A/मार्गदर्शन (विविध)–07–10/2024–752(9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 19-03-2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

: